रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2975] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 16, 2016/अग्रहायण 25, 1938
No. 2975] NEW DELHI, FRIDAY DECEMBER 16, 2016/AGRAHAYANA 25, 1938

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2016

का.आ. 4079(अ).—भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 (1984 का 52) की धारा 3 की उप-धारा 3 खण्ड (i) यह उपबंध करता है कि जिन राज्यों पर इस अधिनियम का विस्तार है, उनकी राज्य पशुचिकित्सा संगमों के अध्यक्षों में से केंद्रीय सरकार द्वारा एक सदस्य नामित किया जाएगा;

और, उक्त अधिनियम की धारा-3 के उप-धारा (3) के खण्ड (i) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार द्वारा तारीख 28 अगस्त, 2014 के का.आ. 2181 (अ) की अधिसूचना के द्वारा डा. उमेश चन्द्र शर्मा, अध्यक्ष, प्रांतीय राजपत्रित पशुचिकित्सक संघ, भोपाल को भारतीय पशुचिकित्सा परिषद के एक सदस्य के रूप में नामित किया गया था;

और, केंद्रीय सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि अध्यक्ष, प्रांतीय राजपत्रित पशुचिकित्सक संघ, भोपाल के रूप में डा. उमेश चंद्र शर्मा का कार्यकाल केवल 30.04.2016 तक था तथा फर्म और संस्थान मध्य प्रदेश के सहायक रजिस्ट्रार से प्राप्त दस्तावेजों से भी यह पता चला है कि उक्त प्रांतीय राजपत्रित पशुचिकित्सक संघ का कार्यकाल 1.5.2013 से लेकर 30.04.2016 तक, तीन वर्षों का था;

और, डा. उमेश चंद्र शर्मा अपने कार्यकाल की समाप्ति या विधिपूर्ण उपविधियों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, इत्यादि के अधीन उसके विस्तार के किसी प्रकार को केंद्रीय सरकार को सूचित करने में असफल रहे हैं;

और, ऐसा प्रतीत होता है कि संघ ने 2015 में संघ के अध्यक्ष तथा अन्य कार्यकारी सदस्यों के कार्यकाल को बढ़ाने के संबंध में प्रांतीय राजपत्रित पशुचिकित्सक संघ तथा मध्य प्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 की उप-विधियों में यथाविहित सम्यक विधिक प्रक्रिया के बिना अपनी ही उप-विधियों का उल्लंघन करते हुए अपनी उप-विधियों को संशोधित किया है;

और जबकि, केंद्रीय सरकार ने इस मामले में एक विस्तृत जांच की और की गई जांच तथा प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर, उसने यह देखा कि-

(i) संघ के मूल उप-विधियों में किए गए उपबंध के अनुसार उप-विधियों का संशोधन, अध्यक्ष तथा शासी निकाय के सदस्यों के कार्यकाल में वृद्धि हेतु उप-विधियों सहित, की प्रक्रिया में संघ के अपेक्षित सदस्यों की अपेक्षित संख्या की न तो सिफारिश है और न ही समर्थन है।

(ii) संघ के अध्यक्ष का कार्यकाल विनिर्दिष्ट विधिपूर्ण पद्धतियों, प्रक्रियाओं, उपायों, नियमों, विनियमों, दिशा-निर्देशों या संघ की उप-विधियों का पालन किए बिना बढ़ाया गया है।

(iii) प्रांतीय राजपत्रित पशुचिकित्सक संघ का नाम मध्य प्रदेश राज्य की सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संगमों की सूची में सूचीबद्ध नहीं है।

और जबकि, इस अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के खंड (ख) में यह उपबंध है कि किसी सदस्य के बारे में उसका पद रिक्त कर दिया समझा जाएगा यदि वह उस पद पर नहीं रह जाता है जिस पर उसे नाम निर्दिष्ट किया गया था।

और जबकि, डॉ उमेश चन्द्र शर्मा का प्रांतीय राजपत्रित पशु चिकित्सक संघ, भोपाल के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल विधि के अनुसार तथा प्रांतीय राजपत्रित पशु चिकित्सा संघ तथा मध्य प्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 की उप-विधियों के अधीन स्थापित विधिपूर्ण पद्धतियों तथा प्रक्रियाओं के अनुसार बिना किसी और विधिक विस्तार के 30/04/2016 को समाप्त हो गया था और इस प्रकार उसके बारे में यह मान लिया जाए कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है;

अत:, अब, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 (1984 का 52) की धारा 3 की उप-धारा (3) तथा उप-धारा (6) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग) की तारीख 28 अगस्त, 2014 के का.आ. 2181 (अ) की अधिसूचना का संधोधन करती है, अर्थात:-

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 14 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 52-25/2013-एलडीटी (वीसी)]

डॉ. ए. जे. वी. प्रसाद, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. का आ. 2181(अ), तारीख 28 अगस्त, 2014 को अंतिम बार तारीख 11 मई, 2016 की का.आ. 1755(अ) के द्वारा संधोधित किया गया था।

MINISTRY AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th December, 2016

S.O. 4079(E).—*WHEREAS*, the clause (i) of sub-section 3 of section 3 of the Indian Veterinary Council Act,1984 (52 of 1984) provides that *one member to be nominated by the Central Government from amongst the Presidents of the State Veterinary Associations of those States to which this Act extends;*

AND WHEREAS, vide notification S.O. 2181 (E), dated 28th August, 2014, Dr. Umesh Chandra Sharma, President, Prantiya Rajpatrit Pashuchikitsak Sangh, Bhopal was nominated as a member to the Veterinary Council of India by the Central Government in exercise of the powers conferred under clause (i) of sub section (3) of section 3 of the said Act;

AND WHEREAS, it has been brought to the notice of the Central Government that the tenure of Dr. Umesh Chandra Sharma as the President, Prantiya Rajpatrit Pashuchikitsak Sangh, Bhopal was only up to 30.04.2016 and the documents received from the Assistant Registrar of the Firms and Institution Madhya Pradesh, also revealed that the said Prantiya Rajpatrit Pashuchikitsak Sangh had a term of three years from 01.05.2013 to 30.04.2016;

AND WHEREAS, Dr. Umesh Chandra Sharma failed to intimate the Central Government either of the expiry of the tenure or any type of extension thereof under lawful bye-laws, rules, regulations, guidelines, etc;

AND WHEREAS, it seems that the Sangh has amended its bye-laws in 2015 without due legal processes as prescribed in the bye-laws of Prantiya Rajpatrit Pashuchikitsak Sangh and the Madhya Pradesh Society Registrikaran Adhiniyam, 1973 to increase the tenure of President and other Executive Members of the Sangh in violation of its own bye-laws;

AND WHEREAS, the Central Government made a detailed enquiry in the matter and based on the enquiry made and documents received, it noticed that-

(i) The procedure for amendment of bye-laws as provided in the original bye-laws of the Sangh does not have the recommendation or support of the requisite number of members of the Sangh including the amendment of bye-laws for increase in tenure of the President and Governing body members.

(ii) The tenure of the President of the Sangh has been increased without following specific lawful procedures, processes, steps, rules, regulations, guidelines or bye-laws of the Sangh.

(iii) The name of the Prantiya Rajpatrit Pashuchikitsak Sangh has not been listed in the list of recognised associations by State Government of Madhya Pradesh;

AND WHEREAS clause (b) of sub-section (1) of section 6 of the Act provides that a member shall be deemed to have vacated his office, if he ceases to hold the post from which he has been nominated;

AND WHEREAS, the term of Dr. Umesh Chandra Sharma as President, Prantiya Rajpatrit Pashuchikitsak Sangh, Bhopal has *therefore* ended on 30.04.2016 without further legal extension as per law and established lawful process and procedures under the bye-laws of Prantiya Rajpatrit Pashuchikitsak Sangh and the Madhya Pradesh Society Registrikaran Adhiniyam, 1973 and so deemed to have vacated his office;

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred under sub-sections (3) and (6) of section 3 of the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984), the Central Government hereby amends the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries) number S.O. 2181(E), dated the 28th August, 2014, published in Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, sub-section (ii), namely:-

In the said notification, serial no.14 and the entries relating thereto shall be omitted.

[F. No. 52-25/2013-LDT (VC)]

Dr. A.J.V PRASAD, Jt. Secy.

Note : The Principal Notification number S.O. 2181 (E), dated 28th August, 2014 was last amended *vide* S.O. 1755(E), dated 11th May, 2016.

Nishok Kumar Paria Digitally signed by Nishok Kumar Paria Date: 2016.12.16 22:42:06 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.